

[2025] 3 एस.सी.आर. 205 : 2025 आईएनएससी 246

हितेश उमेशभाई मश्रू

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 812/2025)

18 फरवरी 2025

[बेला एम. त्रिवेदी और प्रसन्न बी. वराले, जे.जे.]

विचारार्थ प्रश्न

यदि अपीलकर्ता अग्रिम जमानत का हकदार है।

सारांश टिप्पणियाँ

अग्रिम जमानत - अपीलकर्ता के खिलाफ़ IPC, 1860 की धारा 493, 376(2) के तहत FIR - हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया - इस कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा दिए जाने के बाद अपीलकर्ता जांच में शामिल हुआ - जांच पूरी हो गई, चार्जशीट दायर की गई:

अभिनिर्धारित किया गया: अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी। [पैरा 8]

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

मुख्य शब्दों की सूची

अग्रिम जमानत; गिरफ्तारी से सुरक्षा; शादी का झांसा देकर धोखा दिया।

मामला सामने आ रहा है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील संख्या 812/2025

अहमदाबाद में गुजरात हाई कोर्ट के दिनांक 23.08.2024 के फैसले और आदेश से, सी. आर. एम. ए. सं 16462/2024 में।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

विराट पोपट, लोकेश कुमार चौधरी, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए

प्रशांत भगवती, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री आस्था मेहता, अंशुमन श्रीवास्तव,

अधिवक्ता प्रत्यर्थियों के लिए।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

1. अनुमति दी गयी।
2. यह अपील गुजरात हाई कोर्ट, अहमदाबाद द्वारा 23.08.2024 को दिए गए फैसले और आदेश के खिलाफ है, जो आर/ क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन (क्रिमिक अग्रिम जमानत के लिए) संख्या 16462/2024 में पारित किया गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था, जिसमें एफआईआर नंबर 11203024220505, तारीख 16.07.2022 के संबंध में अग्रिम जमानत मांगी गई थी, जो पुलिस स्टेशन-बी-डिवीजन, जिला-जूनागढ़ में भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'IPC') की धारा 493 और 376(2)(n) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई थी।
3. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर विषय-वस्तु का अध्ययन किया।
4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री विराट पोपट द्वारा यह प्रस्तुत करने की मांग की जाती है कि अपीलकर्ता ने अभियोजक (प्रत्यर्थी संख्या 2) से 47 वर्ष की आयु में विवाह किया था, और दोनों पक्षों यानी अपीलकर्ता और अभियोजक का तीसरा विवाह था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता इस अदालत द्वारा दिनांकित 01.10.2024 के आदेश के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान किए जाने के बाद जांच में शामिल हो गया है।
5. प्रत्यर्थी- राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने जांच अधिकारी द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे पर भरोसा करते हुए कहा कि जांच पूरी हो गई है, और उनके निर्देशों के अनुसार, मामले में पहले ही चार्जशीट दायर की जा चुकी है।
6. प्रत्यर्थी संख्या 2 (अभियोजक) की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुश्री आस्था मेहता ने अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत देने के खिलाफ आपत्ति जताई, यह बताते हुए कि अपीलकर्ता ने विवाह का झांसा देकर प्रत्यर्थी संख्या 2 (अभियोजक) को धोखा दिया। उन्होंने आगे कहा कि उनकी शादी भी पंजीकृत नहीं थी, हालांकि उन्होंने अपने रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी।
7. पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब चार्जशीट

दाखिल की जा चुकी है, लेकिन मामले की मूल प्रकृति पर कोई टिप्पणी किए बिना, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करने के पक्ष में हैं।

8. इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी एफआईआर संख्या 11203024220505 दिनांकित 16.07.2022 पुलिस स्टेशन-बी-डिवीजन, जिला-जूनागढ़ में पंजीकृत, उसे ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है, जो निचली अदालत द्वारा लगाए जा सकते हैं। वह जांच में सहयोग करना जारी रखेंगे।
9. यह बिना कहे चला जाता है कि प्रत्यर्थी- राज्य अपीलकर्ता द्वारा निचली अदालत द्वारा लगाई जाने वाली किसी भी शर्त का उल्लंघन या उल्लंघन किए जाने की स्थिति में जमानत को रद्द करने की मांग करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।
10. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है।
11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, बंद रहेंगे।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

हैडनोट्स तैयार किए गए: दिव्या पांडे